सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 506 राँची, रविवार

21 आषाढ़, 1937 (श०)

12 जुलाई, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

9 जुलाई, 2015

संख्या-5/आरोप-1-16/2015 का0-6116-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री मोहन लाल मरांडी (प्रथम बैच, जे0पी0एस0सी0, गृह जिला-गोड्डा), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धनवार, गिरिडीह के कार्यावधि में सुखाड़ राहत, सिंचाई तालाब निर्माण, मिट्टी मोरम पथ एवं पुलिया निर्माण, इंदिरा आवास, मनरेगा इत्यादि योजनाओं में 52,06,171.00 (बावन लाख छः हजार एक सौ इकहत्तर) रूपये के लोकधन की आर्थिक क्षति संबंधी गंभीर आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं, जैसा कि संलग्न प्रपत्र-'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री मरांडी के विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-55 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री मरांडी को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर

लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री मरांडी द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल, श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री मरांडी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री शंकर प्रसाद सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्ता, गिरिडीह को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रमोद कुमार तिवारी,
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 506—50 ।